न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर, महराजगंज ।

वाद सं0- 03/2008 अन्तर्गत धारा-143 उ0प्र0ज0वि0अधिनियम
बावत मौजा-जंगल दुधई उर्फ घेहरी, तप्पा-कटहरा
परगना-हवेली, तहसील-सदर, जनपद-महराजगंज ।

शान्ति मेमोरियल ट्रस्ट बनाम श्रीमती नीरा श्रीवास्तव आदि ।

आदेश

अजय कुमार श्रीवास्तव मुख्य ट्रस्टी, शान्ति मेमोरियल ट्रस्ट, मकान नं0-132, बी. एच अशोक नगर (बशारतपुर) जनपद-गोरखपुर द्वारा दिनांक-20-12-2007 को वाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-143 उ0प्र0ज0वि0अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम प्रस्तुत करते हुए याचना किया गया है कि आराजी नं0-156। मि रकबा 3.035 हे0 स्थित ग्राम जंगल दुधई उर्फ घेहरी तप्पा-कटहरा, परगना-हवेली, जरिये पंजीकृत हिब्बानामा दिनांक-16.11.2007 को तहरीर कराया गया है। बाद तहरीर राजस्व अभिलेख में ट्रस्ट का नाम दर्ज हो चुका है जिसमें शिक्षण संस्थान हेतु भवन निर्माण किया जाना है। प्रश्नगत आराजी का कृषि रूप में प्रयोग समाप्त हो गया है अतः प्रश्नगत आराजी को अभिलेख में आबादी दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली तहसीलदार, सदर को जाँच हेतु भेजी गयी। बाद जाँच तहसीलदार, सदर की जाँच आख्या दिनांक-1.1.2008 न्यायालय पर प्रस्तुत हुआ है।

मैंने वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य व तहसीलदार, सदर की आख्या का सम्यक् रूप से अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि ग्राम जंगल दुधई उर्फ घेहरी की खतौनी सन् 1410 से 1415 फ0 के खाता सं0-923 गाटा सं0-156। रकबा 4.561 हे0 रविन्द्र पुत्र शिवसहाय के नाम रहा है जिसमें से वादी का नाम बतौर हिब्बानामा तहसीलदार, सदर के आदेश दिनांक-16.11.07 के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में 3.035 हे0 पर नाम दर्ज है। खसरा सन् 1415 फ0 स्थित ग्राम जंगल दुधई उर्फ घेहरी में प्रश्नगत आराजी आबादी के रूप में दर्ज है। तहसीलदार की आख्या है कि प्रश्नगत आराजी में पक्का मकान तथा सहन के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है। तहसीलदार, सदर द्वारा प्रश्नगत आराजी को धारा-143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित करने की संस्तुति की गयी है।

समस्त तथ्यों के परीक्षण से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूखण्ड में कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि मकान तथा मकान के सहन के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। अतः तहसीलदार, सदर की संस्तुति के क्रम में आराजी सं0-156। मि रकबा 3.035 हे0 गैर कृषि प्रयोज्य घोषित किया जाता है। तद्नुसार बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखागारित हो।

18/01/08

(अमर पाल सिंह)
उप जिलाधिकारी, सदर
महराजगंज ।

राजस्व अभिलेखागार
कलेक्ट्रेट - महराजगंज

प्रतिलिपि कर्ता....
तुलना कर्ता....

नाम प्रार्थी श्री [illegible]
नम्बर सवाल... 2832
तारीख सवाल... 29-2-16
तादाद फीस... 13-
तादाद शब्द... 30
तारीख नोटिस 29-2-16
तारीख हवालगी 29-2-16
दस्तखत...

सत्य प्रतिलिपि
[illegible]
अभिलेखपाल
राजस्व अभिलेखागार
महराजगंज

न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर, महराजगंज।

वाद सं0- 04/2008

अन्तर्गत धारा-143 उ0प्र0ज0वि0अधिनियम बावत मौजा-जंगल दुधई उर्फ धेहरी, टप्पा-कटहरा परगना-हवेली, तहसील-सदर, जनपद-महराजगंज।

शान्ति मेमोरियल ट्रस्ट बनाम राजेन्द्र।

आदेश

शान्ति मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा मुख्य ट्रस्टी अजय कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व0 श्री केशव चन्द्र श्रीवास्तव, मकान नं0-132 बी. एच आशिक नगर (बशारतपुर) शहर गोरखपुर द्वारा दिनांक- 15.1.2008 को वाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-143 उ0प्र0ज0वि0अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम प्रस्तुत करते हुए याचना किया गया है कि आराजी नं0-1561मि रकबा 0.713 हे0 व आराजी नं0-1562 रकबा 0.405 हे0 स्थित ग्राम जंगल दुधई उर्फ धेहरी टप्पा-कटहरा, परगना-हवेली जरिये पंजीकृत बैनामा दि0-10.12.07 को तहरीर कराया गया है बाद तहरीर राजस्व अभिलेख में क्रेता (वादी) का नाम दर्ज हो चुका है जिसमें इंजिनियरिंग शिक्षण संस्थान चलाने हेतु भवन का निर्माण किया जा रहा है। प्रश्नगत आराजियात का कृषि रूप में प्रयोग समाप्त हो चुका है। अतः प्रश्नगत आराजी को अभिलेख में आबादी दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली तहसीलदार, सदर को जाँच हेतु भेजी गयी। बाद जाँच तहसीलदार, सदर की जाँच आख्या दिनांक-18.1.2008 न्यायालय पर प्रस्तुत हुआ। मैंने वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों व तहसीलदार की आख्या का सम्यक् रूप से अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि आराजी नं0-1561मि रकबा 0.713 हे0 व आराजी नं0-1562/4032 रकबा 0.405 हे0 स्थित ग्राम जंगल दुधई उर्फ धेहरी शान्ति मेमोरियल ट्रस्ट के नाम अंकित अभिलेख है। खसरा सन् 1415फ0 में प्रश्नगत ~~xxxx~~ आराजी आबादी के रूप में दर्ज है। तहसीलदार की आख्या है कि प्रश्नगत आराजी में कृषि कार्य नहीं होता है बल्कि शान्ति मेमोरियल ट्रस्ट के नाम अंकित अभिलेख है तहसीलदार, सदर द्वारा अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपर्युक्त तथ्यों के परीक्षण से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूखण्ड में वादी द्वारा इंजिनियरिंग शिक्षण संस्थान चलाने हेतु भवन का निर्माण किया जा रहा है तत्क्रम में तहसीलदार, सदर द्वारा अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति भी की गयी है। ऐसी स्थिति में आराजी नं0-1561 मि रकबा 0.713 हे0 व आराजी नं0-1562/4032 रकबा 0.405 हे0 स्थित ग्राम जंगल दुधई उर्फ धेहरी गैर कृषि प्रयोज्य घोषित किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखागारित हो।

10/1/08

(अमर पाल सिंह)
उप जिलाधिकारी, सदर
महराजगंज।

राजस्व अभिलेखागार
कलेक्ट्रेट - महराजगंज

प्रतिलिपि कर्ता ....
तुलना कर्ता ....

नाम प्रार्थी श्री ....
नम्बर दरख्वास्त 2533
तारीख दरख्वास्त 29-2-16
तारीख फीस 13-
तारीख शब्द .... 300 शब्द
तारीख नोटिस 29-2-16
तारीख हवालगी 29-2-16
हस्ताक्षर ....

सत्य प्रतिलिपि
29/2/16
अभिलेखपाल
राजस्व अभिलेखागार
महराजगंज

Scanned with CamScanner